

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या : 34/2025  
दायर दिनांक : 10.06.2025  
निर्णय दिनांक : 09.07.2025

1. गिराज प्रसाद शर्मा पुत्र कजोडमल शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गौर ब्राह्मण मोहल्ला बसवा जिला दौसा
2. रामनिवास पुत्र भौरीलाल जाति मीना, निवासी रामसिंहपुरा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 0.95 है. स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार व मालिक स्वामी हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2025 को कराया जा चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवं किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि की मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाय उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की पुष्टि होती है। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 0.95 है. का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाबते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाय तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

( मूलचन्द लूणिया )

उपखण्ड अधिकारी दौसा  
दौसा (राज०)